



66/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 308/28/76/एक/2018-19

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बांदा।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0540000102461942	IFSC Code PUNB0005400	116.106

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	बांदा	म०ब०-83	न०प० नरैनी	वार्ड नं०-02 के अंतर्गत मौ० पटेल नगर में राघुनाथ जमादार के मकान से देवी जी मन्दिर तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.239
2	बांदा	म०ब०-83	न०प० ओरन	वार्ड नं०-02 के अंतर्गत मौ० पिडियन थोक में गौरीशंकर सरिता के मकान से भरतलाल चौरसिया के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.393
3	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में चुन्नू राजपूत के मकान से सत्यप्रकाश श्रीवास्तव के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.965
4	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में राममूरत के मकान से हीरालाल राजपूत के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.449
5	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में खिलाड़ी राजपूत के मकान से भूरा राजपूत के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.477
6	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में मंगल राजपूत के सामने से दुर्गा राजपूत के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.778
7	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में मदन राजपूत के मकान से रामचन्द्र के मकान तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	2.233
8	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में किशन कुशवाहा के मकान से देशराज के मकान से होते हुए भउना के मकान से मेन रोड बबेरू रोड तक नाला का निर्माण कार्य।	15.975



66/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व मु०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
9	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में बृजेश राजपूत के मकान से सुभाष कुशवाहा के मकान तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.858
10	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में राममूरत पटेल के सामने से राममूरत राजपूत के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.260
11	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में देशपाल के मकान से टार्जन राजपूत के मकान तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	2.424
12	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में कमलेश के मकान से मंगी पहलवान के घर तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.216
13	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में नत्थू राजपूत के मकान से शिवमन्दिर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.731
14	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में दुल्ला राजपूत के मकान से होते हुए चिन्ता राजपूत के मकान से होते हुए चन्दन राजपूत के मकान तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.372
15	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में किलेदार पुरवा के तिराहे मेन रोड हनुमान मन्दिर से कामता राजपूत के मकान तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	7.531
16	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में एच०एल० इण्टर कालेज के पीछे गली नं० 2 अजीत के मकान से गली के अन्त तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.217
17	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में कल्लू राजपूत के मकान के पीछे अनुराग द्विवेदी के मकान से नहर पटरी तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.554
18	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में शिवप्रसाद राजपूत के घर से श्री शिवशरण फोजी के दरवाजे तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.611
19	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में रामलखन शुक्ला के दरवाजे से राम मनोहर तिवारी के घर तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.755
20	बांदा	मु०अ०-37	न०पा०प० बांदा	वार्ड नं० 19 मो० शान्तीनगर में सत्यभामा के घर से सुशील कुमार शर्मा के घर तक सी०सी० एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.951
21	बांदा	मु०अ०-37	न०पं० नरैनी	वार्ड नं० 07 के अन्तर्गत मो० रामनगर में दशरथ कोरी के मकान से तुलसिया कोरी के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.535



66/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
22	बांदा	मु०अ०-37	न०प० औरन	वार्ड नं० 04 के अन्तर्गत मो० दासी थोक में बहारी जी मन्दिर से लेकर आदर्श पूर्व मा० ठिद्यालय मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.636
23	बांदा	मु०अ०-37	न०प० बबेरू	वार्ड नं० 08 के अन्तर्गत मो० आजाद नगर में कमासिन मार्ग रजा हुसैन के मकान से सिद्धार्थ नगर देवी के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.562
24	बांदा	मु०अ०-37	न०प० बबेरू	वार्ड नं० 11 के अन्तर्गत मो० मनोरथ थोक मते औगासी मार्ग सरकारी अस्पताल के पास बच्चा विश्वकर्मा के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.698
25	बांदा	मु०अ०-37	न०प० बबेरू	वार्ड नं० 08 के अन्तर्गत मो० आजाद नगर में कमासिन मार्ग में मुख्य मार्ग वेद मित्र के मकान से अवधा नरायण तिवारी के मकान तक (मढीदाया ढाल के नीचे) सी०सी० मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.686
	योग				116.106

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

(Handwritten signature)



66/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पन्नित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक